(2)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—155 / 2020—21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

श्री गांजु पाहन — विक्रेता

बुधनी कुमारी — क्रेता

आदेष की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14.10.20	**आदेश**	

आवेदक श्री गांजु पाहन पिता स्व0 जाबोर पाहन ग्राम—डड़गामा, पो0—अनिगड़ा, थाना खूँटी जिला खूँटी ने बुधनी कुमारी पिता स्व0 नन्द पाहन ग्राम—बड़ा सरले, पो0—मारंगहादा, थाना—खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कमन्ता	79	32	179	0.05

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 14927744 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 804 दिनांक 06.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 257 दिनांक 25.05.2013 से क्रय किया गया है। खतियानी रैयत का नाम पातर मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार गांजू पाहन के नाम भूमि का 0.26 एकड़ है। आवेदक के रकबा 0.26 एकड़ भूमि अन्य मौजा डड़गामा खाता सं0 42 रकबा 2.40 एकड़ भूमि कुल 2.66 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018—19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 29801.00 (उनतीस हजार आठ सौ एक)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.61 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

क्रेता द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं0—119 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार बुधनी कुमारी वर्त्तमान में अविवाहित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री गांजु पाहन पिता स्व0 जाबोर पाहन को बुधनी कुमारी पिता स्व0 नन्द पाहन के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं0 32 खेसरा संख्या 179 कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 29801.00 (उनतीस हजार आठ सौ एक)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

14/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

14/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।